न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 169/2006 राजस्व वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ईशाक पुत्र सलैम कौ मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग (मृतक)

1/1– फातूनी बेवा ईशाक जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग

1/2– फकरुद्दीन पुत्र ईशाक

1/3– समीना

1/4– अमीना

1/5– फरमीना

1/6– रुकमीना

1/7– सकूनत

1/8– परमीना

1/9– मुनफीदा पुत्रीयान ईशाक

2. आसीन

3. इलियास

4. हारून पिस0 सलैम जातियान मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग जिला भरतपुर

–वादीगण

बनाम

1. टेनी पुत्र नत्थू

2. जयकम

3. अनीश

4. मुफीद पिस0 इराबू जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग

5. सद्दाम पिस0 इराबू जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग

6. तहसीलदार साहब तहसील डीग

उपखण्ड अधिकारी

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी
हस्व दफा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय **दिनांक :– 27.02.2018**

वादीगण ने यह दावा डिक्लेरेशन व हुक्तइम्तनाई दवामी हस्व दफा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी ख0नं0 1262/0.49, 1263/0.37, 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है तथा आराजी ख0नं0 1213/0.14 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। हाल आराजी ख0नं0 1262, 1263, 1264 को साबिक ख0नं0 770 मि0, 710 मि0 से कायम किया जाना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया है। जबकि वास्तव में हाल आराजी ख0नं0 1262, 1263, 1264 साबिक आराजी ख0नं0 770 मि0 6–4 बाकै ग्राम खोह से व साबिक ख0नं0 771मि0/2–16 बाकै ग्राम नगला खोह से मिलकर कायम हुए हैं हाल ख0नं0 1262, 1263, 1264 का मिलान क्षेत्रफल मौके के विपरीत है गलत है और काबिले दुरुस्ती के है। हाल आराजी ख0नं0 1213 बाकै ग्राम नगला खोह को दौराने सैटिलमेन्ट साबिक ख0नं0 771/2–16, 731/1/0.18 व 769/5–16 से कायम किया जाना दर्शित किया है, परन्तु वास्तव में हाल आराजी ख0नं0 1213 साबिक ख0नं0 771/1 व 769 से ही मौके पर कायम हुआ है। साबिक ख0नं0 771 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 770 बाकै ग्राम खोह के साथ सम्मिलित होकर नवीन ख0नं0 1262, 1263, 1264 में आया है। हाल ख0नं0 1213 का मिलान क्षेत्रफल मौके के अनुरूप नहीं है, गलत है और काबिले दुरुस्ती के है। आराजी ख0नं0 साबिक 770/6–4 बाकै ग्राम खोह पूर्व में शिवराम पुत्र कृपाराम खत्री सा0देह की खातेदारी का रकबा था और साबिक आराजी ख0नं0 771/2–16 बाकै ग्राम नगला खोह सलेम वादीगण के पिता की खातेदारी का रकबा था। वादीगण का पिता अब फौत हो चुका है ओर वादीगण ही वारिस व काबिज जायदाद है। आराजी ख0नं0 770 बाकै ग्राम खोह को शिवदयाल व आराजी ख0नं0 771 बाकै ग्राम नगला

खोह को वादीगण के पिता सलेम ने आपस में समझौता कर सम्मिलित कर एक कर उसमें नये तरीके से मेड़ डालकर तीन नम्बर मौके पर कायम कर लिए और तीनों ही नम्बर साबिक ख0नं0 771/1 बाकै ग्राम नगला खोह से भिड़े हुए थे क्योंकि साबिक ख0नं0 771/1 गै0मु0 अरवादी मकबूजा सरकार की भूमि थी और जो रास्ते के काम भी आती थी। आराजी ख0नं0 770 साबिक स्थित ग्राम खोह व आराजी ख0नं0 771 स्थित ग्राम नगला खोह से मिलाकर जो मौके पर तीन नये नम्बर शिवदयाल व सलेम ने कायम किये उनमें से जानिव उत्तर की ओर के दो नम्बरों पर शिवदयाल खत्री व नीचे के एक नम्बर पर वादीगण का पिता सलेम काबिज हो गया और इसी कदर उक्त नम्बरान पर पहले शिवदयाल व सलेम व अब शिवदयाल के स्थान पर प्रतिवादीगण व सलेम के स्थान पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। दौराने सैटिलमेन्ट प्रति0 के कब्जे काश्त के नम्बरान को नक्शा किश्तवार हाल में ख0नं0 1262 व 1263 से वादीगण के कब्जेकाश्त के ख0नं0 1264 से प्रदर्शित किया गया है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मौके व रिकॉर्ड के विपरीत हाल ख0नं0 1262, 1263, 1264 पर सालिम रूप से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जा रहा है जो कानून व मौके के विपरीत है। वादीगण ख0नं0 1264 पर अपने आपको व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं एवं ख0नं0 1264 बाकै ग्राम खोह पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त आराजी ख0नं0 1264 बाकै ग्राम खोह पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात से प्रति0 के मन में बदनियति आ गई है वह उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–वय–मुन्तकिल करना चाहते हैं। वादीगण जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने दिनांक 18.08.2006 को ऐलानिया धमकी दी है, इसलिए प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह पर वादीगण को व0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व मिलान

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

नगला खोह से ही बनना प्रदर्शित किया गया है व वर्तमान में ख0नं0 1264 पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ख0नं0 1264 को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन–वय–मुन्तकिल न करें तथा वादीगण को कब्जाकाश्त में बेदखल कर कब्जा नाजायज न करें व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वादीगण के हकूकों पर कुठाराघात हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रति0 को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। प्रति0 ने अपना जवाबदावा पेश किया कि दावा जिस कदर बयान की गई है स्वीकार नहीं है। शिवदयाल पुत्र कृपाराम खत्री आवश्यक पक्षकार हैं जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है एवं मुताबिक कानून राज्य सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो नहीं दिया है। हम प्रति0 द्वारा कोई धमकी वादीगण को कभी भी किसी प्रकार की नहीं दी गई है। दावा हम प्रति0 जमाने बुजुर्गान से शान्तिपूर्वक काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी को राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी दिनांक 09.04.1991 से ही रही है। अब वादी द्वारा दावा बेरून म्याद पेश किया गया है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी एक दावा इसी आराजी मुत0 की बावत पेश किया था जो दिनांक 31.12.1999 को खारिज हुआ है। इसलिए दावा वादीगण धारा 11 के अन्तर्गत काबिले खारिजी के है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के अर्जीदावा व प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर वाद में निम्न रामकीयत कायम की गई :–

<u>तनकी सं0 1</u> :– आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं0 2 :– आया वादीगण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं0 3 :– आया वादीगण ने इसी आराजी बावत् एक दावा न्यायालय हाजा में दिनांक 10.05.1993 पेश किया था जो दिनांक 31.12.1999 को खारिज हुआ था। अतः इसी विनाम पर दावा वादी 07R11CPC के तहत काबिले खारिजी के है।

तनकी सं0 4 :– आया वादी ने सह कृषक शिवदयाल पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है जो नॉन जाइन्डर ऑफ नेशेसरी के प्रावधानों से वांछित है।

तनकी सं0 5 :– दादरसी

पक्षकारान द्वारा अपने–अपने दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा मौखिक साक्ष्य पेश की। बहस वकी पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

तनकी सं0 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने भार वादीगण पर है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 बाकै ग्राम खोह के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1262/0.49, 1263/0.37, 1264/0.42 अन्य खसरा नम्बरान के साथ टैनी पुत्र नत्थू हि0 1/2 जैकम, अनीस, मुवीद पिस0 सराबू वाजिम सद्दाम पुत्र जैकम नाबा0 संरक्षक भाई जैकम व0हि0ब0 1/2 कौम मेव नि0 जीवनवास खातेदार के अंकन हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2041 बाकै ग्राम खोह के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक ख0नं0 770 मि0 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा से हाल ख0नं0 1262/0.49 व साबिक ख0नं0 770 मि0 710 मि0 से हाल ख0नं0 1263/0.37 व हाल ख0नं0 770 मि0, 710 मि0 से हाल ख0नं0 1264/0.42 बनना प्रकट है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 बाकै ग्राम नगला खोह के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक ख0नं0 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, 771/1 रकबा 18 विस्वा व ख0नं0 769 रकबा 5 बीघा 6

विस्वा से हाल ख0नं0 1217/1.14 बनना प्रकट है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 बाकै ग्राम नगला खोह के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा पर सलेम पुत्र काले खां कौम मेव नि0 खोह मजरा जीवनवास गैरखातेदार साल 13 दर्ज है। नकल जमाबन्दी सं0 2015–2018 बाकै ग्राम खोह के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 770 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा पर शिवदयाल पुत्र कृपाराम कौम खत्री सा0देह गैरखातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048–2051 बाकै ग्राम नगला खोह के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1213/1.14 निवास स्थान और बस्तियां अंकित हैं। नकल नक्शा किश्तवार बाकै मौजा खोह के अवलोकन से प्रकट है कि 770 मि0 व 771 दर्शित हैं। नकल नक्शा किश्तवार ग्राम खोह (शामिल नगला खोह) के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1262, 1263, 1264 दर्शित है। नकल नक्शा अक्स के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 770 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा बाकै ग्राम खोह व नकल नक्शा नगला खोह 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा से हाल आराजी ख0नं0 1262, 1263, 1264 बनना प्रकट होता है। जबकि नकल मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख0नं0 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा से हाल ख0नं0 1213 बनना प्रदर्शित किया है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 बाकै ग्राम नगला खोह आराजी ख0नं0 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा सलेम पुत्र काले खां कौम मेव नि0 खोह मजरा जीवनवास के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट प्रकट है कि साबिक आराजी ख0नं0 771 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा वादीगण के पूर्वज सलेम की आराजी नही है। जबकि हाल रिकॉर्ड में उक्त साबिक आराजी का नवीन ख0नं0 1213 बनाया गया है जो कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बनना प्रकट है। मुताबिक नकल नक्शा किश्तवार के अनुसार साबिक ख0नं0 770 व 771 से हाल आराजी ख0नं0 1262, 1263, 1264 बनना स्पष्टतया प्रकट होता है। जबकि हाल रिकॉर्ड में उक्त तीनों खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दिये गये हैं जबकि साबिक रिकॉर्ड अनुसार हाल आराजी ख0नं0 1264/0.42 पर वादीगण के नाम आने चाहिए थे।

वादीगण प्रस्तुत रिकॉर्ड से हाल आराजी ख0नं0 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह पर अपने आपको खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये गये हैं। अतः इस तनकी का निर्णय व हक वादीगण किया जाता है।

तनकी सं0 2 :– तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के हक में हुआ है मुताबिक निर्णय तनकी संख्या 1 वादीगण विवादित आरजी की बावत् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अतः तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीगण के हक में ही किया जाता है।

तनकी सं0 3 :– वकील प्रति0 द्वारा वाद सं0 116/93 की अन्तिम ऑर्डर शीट दिनांक 31.12.1999 पेश की है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाद किस स्टेज पर अ0ह0अ0प0 में खारिज हुआ है। उक्त प्रकरण में जवाब पेश हुआ है अथवा नहीं, रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया है। तनकीयात कायम हुई हैं या नहीं इस बावत् भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व रिकॉर्ड पेश न किये जाने की स्थिति में तनकी का निर्णय प्रति0 के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी सं0 4 :– तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण के हक में हुआ है तथा तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रति0 के विरूद्ध हुआ है। मुताबिक रिकॉर्ड तनकी संख्या 4 अनुसार कृषक शिवदयाल से कोई दादरसी नहीं चाही गई है। अतः इस तनकी को Ques (क्यूज) किया जाता है।

दादरसी :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से तनकी सं0 1 व 2 का निर्णय वादीगण के हक में हुआ है तथा तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध हुआ है। वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह पर खातेदार काश्तकार घोषित करा

पाने के अधिकारी पाये गये हैं तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के भी अधिकारी हैं। दावा वादीगण काबिले डिक्री के हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से वादीगण का दावा प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी ख0नं0 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर हो रहे प्रति0 के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की इजाजत दी जाती है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण को कब्जेकाश्त आराजी ख0नं0 1264/0.42 की बावत् मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 169/2006 राजस्व वाद

1. ईशाक पुत्र सलैम कौ मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग (मृतक)

1/1– फातूनी बेवा ईशाक जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग 1/2– फकरुद्दीन पुत्र ईशाक 1/3– समीना 1/4– अमीना 1/5– फरमीना 1/6– रुकमीना 1/7– सकूनत 1/8– परमीना 1/9– मुनफीदा पुत्रीयान ईशाक 2– आसीन 3– इलियास

4. हारून पिस0 सलैम जातियान मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग जिला भरतपुर

–वादीगण

बनाम

1. टेनी पुत्र नत्थू 2. जयकम 3. अनीश
2. मुफीद पिस0 इराबू जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग
5. सद्दाम पिस0 इराबू जाति मेव निवासी जीवनवास तहसील डीग
6. तहसीलदार साहब तहसील डीग

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी
हस्व दफा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से वादीगण का दावा प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी ख0नं0 1264/0.42 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर हो रहे प्रति0 के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की इजाजत दी जाती है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण को कब्जेकाश्त आराजी ख0नं0 1264/0.42 की बावत् मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज.....मुवलिंग.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर.....को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 27.02.2018 माह.....सन्..... को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मौजान		रूपया	पैसे	मुद्दालय		रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2					
स्टाम्प वकालतनामा	.....	2		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प बजह सबूत	.....			स्टाम्प अरजी	.....		
महनताना वकील	)पर			महनताना वकील	)पर		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बावत इजराय हुक्मनामा	.....			बावत इजराय हुक्मनामा	.....		